संख्या-160/2019/2718/22-2-2019-17(22)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 25 नवम्बर, 2019***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुरेश सिंह पुत्र स्व0 जगपत सिंह, निवासी जनपद-प्रयागराज की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27774/प्रोबे0-5-दयायाचिका बैठक 06.08.2019 दिनांक 06.09.2019 एवं पत्रांक 30225/प्रोवे-5/दया0/के0का0 नैनी-28 दिनांक 01.10.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी सुरेश सिंह पुत्र स्व0 जगपत सिंह जो मकनपुर, थाना-पिपरी, वर्तमान मु0 23/1 पुराना अस्मापुर, थाना-जार्जटाउन वर्तमान पता-218जी0/7सी जे0पी0 नगर सुलेम सराय, थाना-धूमनगंज, जनपद-प्रयागराज का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 15.12.1995 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा व दो नाली बन्दूक से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-729/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश,(आवश्यक वस्तु अधि0) अपर सत्र न्यायाधीश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 18.09.2006 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 06.03.2013 द्वारा यथावत रखा गया है। जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज ने अपनी आख्या में बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की है किन्तु दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति एवं काटी गयी सजा के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि सुरेश सिंह (बन्दी संख्या-333/2018) पुत्र स्व0 जगपत सिंह, निवासी जनपद-प्रयागराज की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-160/2019/2718(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in